सेवा में,

श्रीमान् मुख्य अधिशाषी अधिकारी महोदय,

छावनी परिषद मथुरा ।

विषयः– जनसूचना अधिनियम वर्ष 2005 के तहत सूचना प्रदान करने हेतु, 10/–रू0 का पोस्टल आर्डर नं0– 37एफ–284243 है :–

श्रीमान् जी,

प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनायें प्रदान करने की कृपा करें

मैंने दि0–27–03–2018 को पंजीकृत डाक से संलग्नक–1 प्रार्थना पत्र आपको भेजा था, जिसमें अंकित बिन्दुओं पर मुझे सूचनायें दें :–

1– यह कि आपके रिकार्ड के अनुसार क्या मैंने दि0–04–09–1969 से भिस्ती के पद पर दि0–22–01–1997 तक लगातार बिना किसी व्यवधान के 28 वर्ष चार माह 18 दिन की सेवा पूर्ण की थी, सूचना प्रदान करने की कृपा करें ।

2– यह कि क्या तत्तकालीन अधिशाषी अधिकारी छावनी परिषद मथुरा श्री रमेशचन्द्र शर्मा ने स्वयं ही मेरे ऊपर आरोप निर्धारित किये थे , और स्वयं ही जॉच करके, और स्वयं ही मुझे दिनांक–22–01–1997 को बिना मुझे सुने एकपक्षीय कार्यवाही करके, दण्ड देकर दि0–22–01–1997 को नौकरी से हटा दिया था, पत्रावली का अवलोकन करके, मुझे स्पष्ट सूचना प्रदान करें

3– यह कि क्या दिनांक–20–01–1997 तक मेरी सामूहिक बीमा की धनराशि विभाग द्वारा काटी गयी थी, और क्या मेरा एक वर्ष का मैडीकल अवकाश व 14 दिन की सी0एल0 22–01–1997 तक शेष थी, और कितनी मेरी जी0एफ0 की धनराशि शेष थी , सूचना प्रदान करें ?

4–यह कि क्या आपके विभाग में 20 वर्ष की लगातार सेवा करने पर पेंशन देय है और ग्रेच्यटी का भुगतान नियमानुसार किया जाता है ।

5–यह कि क्या मुझे 22–01–1997 से पूर्व विभाग द्वारा निलम्वित किया गया था । और निलम्वन के समय में मुझे कितना जीवन–यापन भत्ता विभाग द्वारा दिया गया था और अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया था ?

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि निर्धारित समय में उपरोक्त सूचनायें प्रदान करने की कृपा करें ।

इतवारी खॉ

दिनांक :– 04–05–2018

प्रार्थी

(से0नि0) भिस्ती इतवारी खॉ पुत्र स्व0 पूरन खॉ

निवासी– विर्जापुर

द्वारा श्री गंगा प्रसाद एडवोकेट चैम्बर नं0–140
कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड, मथुरडाकखाना दीवानी कचहरी,
मथुरा

CPIO
05/5
कार्यवाही
183
04/05/18